FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0132 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/05/2025 19:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 27/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:40 बजे **Time To (समय तक):** 14:01 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/05/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/05/2025 19:30:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 436 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MANGAL CHAYA GHAR KE SAMANE,, RANAA PUNJA CIRCEL,RETEE STAND CHAORAHA,, UADIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** LALIT SINGH DEVRA
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** DAULAT SINGH DEVRA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2005 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NAHARVILA DAKAN KOTARA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NAHARVILA DAKAN KOTARA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJESH KUMAR MEENA		पिता:MUKESH KUMAR MEENA	1. GAON BADAPAL,DEVAL,Sadar Dungarpur,DUNGARPUR,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2025 को समय करीब 01.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण लाल डांगी को श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया और उनके समक्ष बैठे परिवादी श्री ललित सिंह देवडा का मन् पुलिस निरीक्षक से आपस में परिचय करवा कर बताया कि "पुलिस थाना प्रतापनगर का एएसआई राजेश कुमार थाने पर दर्ज मुकदमे मैं इनका व इनकी कार का नाम होना बताकर जेल में डालने की धमकी देकर नाम मुकदमे मे निकालने की एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है जिसके संबंध में लिखित रिपोर्ट लेकर उपस्थित आये हैं जिस पर अग्रिम कार्यवाही की जानी है।" परिवादी श्री ललित सिंह देवडा की हस्तलिखित रिपोर्ट पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को कार्यालय कक्ष में हमराह लेकर आया। परिवादी श्री ललित सिंह देवडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो रिपोर्ट में अंकित किया कि "मैं ललित सिंह देवडा पुत्र दौलत सिंह देवडा उम्र 20 वर्ष निवासी नाहरविला डाकन कोटडा, उदयपुर का रहने वाला हूं। मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर दीनांक 19.05.2025 को मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल आया कॉल करने वाले ने मुझे कहा कि पुलिस थाना प्रतापनगर से राजेश ASI बोल रहा हूं थाने पर एक लडके को तुम्हारी कार वर्ना में ले जाकर उसके साथ मारपीट करने के दर्ज मुकदमें में तुम्हारा व तुम्हारी गाडी वर्ना कार का नाम आ रहा है एवं मुझे थाने में बन्द करने की धमकी देकर डराने धमकाने लगे। मैंने उन्हे कहा कि मेरे पास वर्ना कार नही है, मैंने कुछ नही किया है। जिस पर उन्होने कहा कि तुझे जेल में बन्द करूंगा तो सब पता चल जायेगा। जिस पर मैंने कहा सर मैंने कोई गलती नही की है मेरा नाम झूठा लिया जा रहा है। मेरे खिलाफ की गई झूठी शिकायत की सही जाच करने के लिये कहा तो उन्होने मुझे कहा कि तुम्हारा व तुम्हारी गाडी का नाम मुकदमें मे निकालने के लिये खर्चा पानी के 15,000/- (प्रन्द्राह हजार) रूपये चाहिये, रूपयो की व्यवस्था कर टेकरी पर आकर मुझे कॉल कर देना। मेने किसी के साथ मारपिट नैही कि है ना ही कोई गलत काम नही किया, मेरे खिलाफ पुलिस थाना प्रतापनगर पर किसी ने झूठी शिकायत की होंगी इसलिये मे, राजेश जी ASI को रूपये देने के लिये नही गया। उसके बाद दिनांक 21.05.2025 को मेरे मोबाईल पर राजेश जी ASI का काल आया, और कहा कि तु खर्चा पानी लेकर मेरे से मिलने क्यो नही आया, अब मुझे तेरे घर आकर तुझे पकडना पडेगा। मेने उनसे कहा कि में अभी मे बाहर हु आकर मिलुंगा। तो उन्होने मुझे कहा कि अगर अब तु नही आया तो तुझे जेल में बन्द कर दुंगा, तुझे जेल नही जाना है तो तू उदयपुर आकर मुझे काल कर देना। मे पुलिस थाना प्रताप नगर के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी राजेश जी ASI को 15,000/- रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता हू। रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी राजेश जी ASI से कोई रंजिश या दुश्मनी नी नही है ना ही रूपयो की उधार, लेन देन है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" उक्त रिपोर्ट को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर परिवादी को सुनाया तो परिवादी द्वारा रिपोर्ट सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिखित होकर स्वंय के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। श्री ललित सिंह देवडा से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि "करीब चार पांच महिने पहले मैं सेवाआश्रम चैराहा के पास मेरी कार हुण्डई कम्पनी की वेन्यू जिसके रजिस्ट्रेशन नं. RJ 27 CN 3579 है, जो मेरे पिताजी के नाम से है उसे लेकर जा रहा है था वहां पासपोर्ट ऑफिस के सामने चाय की थडी पर मेरा दोस्त कमलेन्द्र खडा था तो मैं उसे देखकर वहां रूक गया। मेरे दोस्त के साथ वहा कुछ ओर उसके जान पहचान के लडके खडे थे जिन्हे मैं नही जानता था। मेरे दोस्त ने मुझसे मेरी कार मांगी ओर कहा कि मुझे यही पास में जाना है दस मिनट के लिये तेरी गाडी चाहिये, तो मैंने मेरी गाडी उसे दे दी, मैं वही चाय की लारी पर ही खडा रहा, उसके थोडी देर बाद वो मेरी गाडी लेकर वापस मेरे पास आ गया, उसके साथ एक अन्य लडका प्रिन्स भी था। उसके बाद मैं मेरी कार लेकर वहां से चला गया था। कुछ दिन बाद मुझे हिरणमगरी थाने से फोन आया कि तेरी गाडी में किसी लडके को ले जाकर मारपीट की है एवं गाडी लेकर मुझे थाना हिरणमगरी पर बुलाया था। उसके बाद मैंने मेरे दोस्त को कहां कि तुने मेरी गाडी को किस मुकदमें में फंसा दिया है, तु मेरी गाडी का नाम मुकदमें से निकलवा देना, उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा तेरी गाडी का नाम नही आयेगा मैं कुछ करता हू, उसके बाद मेरे पास हिरणमगरी थाने मे किसी का फोन नही आया। उसके बाद दिनांक 19.05.2025 को पुलिस थाना प्रतापनगर के राजेश जी एएसआई का फोन आया, उन्होने कहां कि तेरे व तेरी गाडी वर्ना का नाम थाने पर दर्ज मुकदमें में आ रहा है। मैंने उन्हे बताया कि मेरे पास वर्ना गाडी नही है तो उन्होने कहा कि

"मुकदमें से नाम निकालना है तो 15,000/- रूपये की व्यवस्था करके टेकरी चैराहा पर आ कर मिल जाना नही तो जेल में डाल दुंगा।" मैंने हिरणमगरी में हुई घटना के बाद किसी को मेरी कार हुण्डई वेन्यू नही दी, पुलिस थाना प्रतापनगर पर दर्ज मुकदमें में मेरा नाम कैसे आया इसकी मुझे कोई जानकारी नही है, मेरे द्वारा राजेश जी एएसआई को कहा था कि मैंने कुछ नही किया है तो उन्होने मुझे जेल में डालने की धमकी देते हुए नाम निकलवाने के लिये 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। परिवादी श्री ललित सिंह देवडा की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत राशि मांग करने का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में वर्णित धारा में अपराध की श्रेणी का पाया गया। परिवादी से उसके पहचान सम्बंधित दस्तावेज मांगने पर आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की, जिसे संलग्न कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजेश कुमार कानि. 263 को कक्ष में बुलाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। कानि. श्री राजेश द्वारा सोनी कम्पनी का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी से एवं किंगस्टन कम्पनी का रिक्त मेमोरी कार्ड 32 जीबी बंरग काला श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि से प्राप्त कर रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर प्रस्तुत किया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड का अवलोकन किया गया तो मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बंरग काला होकर रिक्त होना पाया गया। मेमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया को समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री ललित सिंह देवडा को संदिग्ध आरोपी राजेश एएसआई से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर वार्ता हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि "मैं राजेश जी एएसआई से मोबाईल पर वार्ता कर पता कर सकता हूं कि अभी वो कहा पर मिलेगें।" तत्पश्चात समय करीब 02.36 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री राजेश कुमार एएसआई कि लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिये परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध राजेश एएसआई के मोबाईल नम्बर [redacted] पर काल करा परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड आन कर वार्ता करवायी गई। जिसे डिजिटल वाईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वार्ता में संदिग्ध श्री राजेश एएसआई ने परिवादी को टेकरी चैराहा पर आकर मिलने के लिये कहा। तत्पश्चात समय करीब 02.45 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी व श्री राजेश कुमार कानि 263 का आपस में परिचय करवाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर सुरक्षित करवाकर परिवादी को संदिग्ध श्री राजेश एएसआई से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड करने की एवं श्री राजेश कुमार कानि को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात परिवादी व श्री राजेश कुमार कानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के टेकरी चैराहा की तरफ रवाना किया। तत्पश्चात समय करीब 04.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी व श्री राजेश कुमार कानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित हुए। श्री राजेश कुमार कानि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि "मैं व राजेश जी आपके कार्यालय से रवाना होकर टेकरी चैराहा के पास पहुचे, जहां पर राजेश जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया को समझाकर रिकॉर्डर को चालू करके दिया, उसके बाद मैंने टेकरी चैराहा के पास जाकर पुलिस थाना प्रतापनगर के एएसआई श्री राजेश कुमार के मोबाईल पर मेरे मोबाईल से लाउड स्पीकर मोड आन कर काल कर कहा कि मैं टेकरी चैराहा पर आ गया हूं तो उन्होने मुझे टाटा रेस्टोरेन्ट टेकरी की तरफ बुलाया जिस पर मैं वहां जाकर उनसे मिला तो पुलिस लाईन के गेट के पास ही राजेश जी एएसआई ने मुझे वार्ता के दौरान मेरा नाम मुकदमे से निकालने की एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 10,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति दी एवं मुझे मुकदमे में एक वर्ना गाडी की व्यवस्था करने के लिये भी कहा और कहा कि कही से भी गाडी लेकर आ जाना मैं कोर्ट से जल्दी छुडवा दुंगा। मुझे रूपयो की व्यवस्था कर दिनांक 27.05.2025 को दोपहर 12 बजे तक काल कर मिलने के लिये कहा है। बातचित के बाद मैं वहां से रवाना होकर राजेश जी के पास आ गया। मैंने उन्हे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया जिसे बन्द कर उन्होने उनके पास रख लिया। उसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर यहां कार्यालय पर आ गये।" श्री राजेश कुमार कानि ने भी परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना तो परिवादी व श्री राजेश कुमार कानि द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई एवं वार्ता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। तत्पश्चात समय करीब 06.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री ललित सिंह देवडा को संदिग्ध द्वारा मांग की गई रिश्वत राशि 10,000/- रूपयो की व्यवस्था करने एवं गोपनियता रखने की हिदायत दी गई एवं दिनांक 27.05.2025 को सुबह 10.00 बजे रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय पर आने के हिदायत देकर रूखसत किया। श्री राजेश कुमार कानि से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के यथा स्थिति में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 27.05.2025 समय करीब 09.55 ए.एम. मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मामले हाजा में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के नाम तहरीर प्रेषित कर गवाह तलब किये गये। कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के पत्रांक 1311-1312 दिनांक 27.05.2025 से गवाह श्री आशीष कुमावत सहायक अभियंता एवं श्री बाबूलाल तेली भू-अभिलेख निरीक्षक का मनोनित आदेश प्राप्त हुआ। तत्पश्चात समय 11.47 एएम पर कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण के मनोनित गवाहान

उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वंय का परिचय देकर उनका परिचय पूछो तो उन्होने अपना-अपना नाम पता श्री आशीष कुमावत पुत्र श्री सुखलाल कुमावत, उम्र 40 वर्ष, निवासी 169, चांदपोल (बाहर) उदयपुर हाल सहायक अभियन्ता, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर एवं श्री बाबूलाल तेली पुत्र स्व. श्री प्यारेलाल तेली, उम्र 48, निवासी सी-47, उदयविहार कालोनी, पुरोहितान की मादडी, उदयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर होना बताया। हर दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की गई। तत्पश्चात समय 12.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री आशीष कुमावत सहायक अभियंता एवं श्री बाबूलाल तेली भू-अभिलेख निरीक्षक को की जा रही कार्यवाही से अवगत करा उनका परिचय परिवादी श्री ललित सिंह देवडा से आपस में करवाया गया तथा परिवादी श्री ललित सिंह देवडा की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित रिपोर्ट दिनांक 26.05.2025 को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिपि में होकर शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। उक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय पर उपस्थित श्री राजेश कुमार कानि. से उक्त कार्यवाही से संबंधित डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय की अलमारी से मंगवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार कानि ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 26.05.2025 को परिवादी श्री ललित सिंह देवडा व संदिग्ध आरोपी श्री राजेश कुमार सउनि के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री ललित सिंह देवडा के समक्ष चलाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुसंगत वार्ता सुनाई गयी तो परिवादी ने स्वंय की व संदिग्ध श्री राजेश कुमार सउनि की आवाज की पहचान कर आवाज होना बताया। हर दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा श्री राजेश कुमार एएसआई द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि होना बताया। तत्पश्चात समय करीब 12.20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री ललित सिंह देवडा पुत्र दौलत सिंह देवडा, उम्र 20 वर्ष, निवासी नाहरविला, डाकन कोटडा, जिला उदयपुर से संदिग्ध आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये, प्रस्तुत नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित कर दोनों स्वंतत्र गवाहान से मिलान करवाया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री आशीष कुमावत द्वारा परिवादी श्री ललित सिंह की तलाशी लिवाई गई, जिसमें परिवादी के जिन्स की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नही रहने दी। तत्पश्चात् श्री संजय सिंह कानि. से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 10,000/- रूपये के समस्त नोटो के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटों को परिवादी द्वारा पहनी हुई जिन्स की सामने की दाहिनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कानि. से कार्यालय में से एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहिन रहा, जिसे गवाहान, परिवादी एवं उपस्थितिनों को दिखाया गया, तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहिन घोल में श्री संजय सिंह कानि. की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनाफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री संजय सिंह कानि. से नाली में फिकवा कर उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर उसे देवें और रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी के शरीर के किसी भी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा उक्त कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों के हाथों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री संजय सिंह कानि. को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः कार्यालय की अलमारी में रखने और ब्यूरो कार्यालय में ही रूकने की आवश्यक हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 01.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री ललित सिंह देवडा, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो के अधिकारी/कर्मचारी का आपस में परिचय करवा कर परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध श्री राजेश कुमार एएसआई से लेन देन वार्ता किये जाने वाले स्थान के बारे में पूछने पर परिवादी ने

बताया कि "मैं अभी काल करके श्री राजेश कुमार एएसआई से जानकारी कर लेता हूं कि कहां पर मिलना है।" जिस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध श्री राजेश एएसआई के मोबाईल नम्बर [redacted] पर काल करा परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड आन कर वार्ता करवायी गई। जिसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में संदिग्ध श्री राजेश एएसआई ने परिवादी को रेती स्टेण्ड पर आकर मिलने के लिये कहा। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फैर कर ईशारा करे या मन् पुलिस निरीक्षक मोबाईल पर व्हाट्सएप ईमोजी सेन्ड कर या काल कर ईशारे करें एवं उक्त ईशारे के बारे में ट्रेप टीम के सदस्यो को अवगत कराया गया एवं परिवादी को डिजिटल वाइस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया को पुनः समझाईस की गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुमार श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का विडियो-आडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा कैनन कम्पनी एवं किंगस्टन कम्पनी का रिक्त मेमोरी कार्ड 32 जीबी बंरग काला श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि से प्राप्त कर रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मंगवाया। मेमोरी कार्ड का अवलोकन किया गया तो मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बंरग काला होकर रिक्त होना पाया गया, जिसे कैनन कम्पनी के कैमरा में रिकॉर्डिंग हेतु लगाया गया। श्री दिनेश कुमार कानि को ट्रेप कार्यवाही के दौरान विडियो-आडियो रिकॉर्डिंग हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी व श्री राजेश कुमार कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के आवश्यक हिदायत देकर परिवादी के वाहन कार से, श्री मोहम्मद जाबीर उनि व श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि को प्राईवेट मोटर साईकिल से, दोनो स्वतंत्र गवाह व श्री दिनेश कुमार कानि मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री चन्द्र कान्त हैडकानि प्राईवेट वाहन स्कूटी से ब्यूरो कार्यालय से रेती स्टेण्ड रोड की तरफ रवाना हुए। ब्यूरो कार्यालय से रवानाशुदा समय करीब 01.55 पीएम पर कृषि मण्डी के पास रेल्वे क्रासिंग ब्रिज के पहले पहुचे, जहां मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार संदिग्ध श्री राजेश कुमार एएसआई की लोकेशन जानने के लिये परिवादी के मोबाईल फोन से संदिग्ध श्री राजेश कुमार एएसआई के मोबाईल पर काल करा परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड आन कर वार्ता करवायी जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई। वार्ता में संदिग्ध श्री राजेश एएसआई ने परिवादी को रेती स्टेण्ड चैराहा पर पेट्रोल पम्प की तरफ आने के लिये कहा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर समय करीब 02.01 पीएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर रेती स्टेण्ड चैराहा की तरफ रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनो से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुए। परिवादी रेती स्टेण्ड चैराहा के पास जाकर मंगल चाय घर के बाहर रूका, मन् पुलिस निरीक्षक व हैड कानि. चन्द्रकान्त चैराहे पर ही उक्त मंगल चाय घर मे थोडी दूरी पर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में खडे रहे, उक्त स्थान मे परिवादी स्पष्ट नजर आ रहा था। थोडी देर बाद एक व्यक्ति बुलेट मोटर साईकिल पर परिवादी के पास आकर रूका। परिवादी श्री ललित सिंह और उक्त व्यक्ति आपस में बातचीत करने लगे, जो मन् पुलिस निरीक्षक व हैड कानि. चन्द्रकान्त दोनों को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। बातचीत के दौरान परिवादी द्वारा अपनी पेंट की दाहिनी जैब से रिश्वत राशि निकाल कर बुलेट मोटर साईकिल पर बेठे हुये संदिग्ध को दी, जिसने राशि अपने हाथ से ग्रहण कर अपने पहने हुये पजामे की बांयी जेब में रखे, इसी दौरान परिवादी ने आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का मन् पुलिस निरीक्षक के व्हाटसएप नम्बर पर ईमोजी भेज कर एवं काल कर निर्धारित गोपनिय ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक व अन्य टीम सदस्य अपने अपने वाहनो मे परिवादी के पास जाने लगे। मन् पुलिस निरीक्षक व श्री चन्द्रकांत हैडकानि को आता हुआ देखकर बुलेट मोटरसाईकिल पर बैठा व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसे मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम सदस्यो के रोकने लगे तो पुरा जोर लगाकर एवं टीम सदस्यो के हाथो को दांतो से काटकर भागने की कोशिश करने लगा, मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा एसीबी का परिचय देने पर संदिग्ध द्वारा उसकी लोअर की सामने की बायी जेब में रखी राशि को निकालकर मुंह में डाल दिये और चबाने की कोशिश करने लगा। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि ने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर स्वंय के पास सुरक्षित रखा एवं संदिग्ध के मुंह से राशि को निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री आशीष कुमावत को सुरक्षित रखने के लिये सुपुर्द किये। संदिग्ध की लोअर की दाहिनी जेब में रखा मोबाईल व पर्स स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल को सुरक्षित रखने के लिये सुपुर्द किये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार मौके पर भीड एकत्रित होने से एवं आम रास्ता होने से श्री मोहम्मद जाबीर उनि ने संदिग्ध के बांये हाथ एवं श्री चन्द्राकांत हैडकानि ने दाहिने हाथ को कलाई के उपर से पकडकर यथा स्थिति में मय श्री राजेश कुमार कानि व गवाह श्री बाबुलाल के टेक्सी वाहन से, श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि वाहन मोटर साईकिल से, श्री दिनेश कुमार कानि संदिग्ध की बुलेट मोटरसाईकिल से, परिवादी स्वंय के वाहन कार से एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाह श्री आशीष कुमावत वाहन स्कूटी से रवाना होकर रेती स्टेण्ड चैराहा पर स्थित पंचायत समिति गिर्वा कार्यालय पहुचे, जहां मन् पुलिस निरीक्षक ने वहां उपस्थित बीडीओ को स्वंय का परिचय देकर मनतव्य से अवगत करा अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया तो उन्होने सहायक अभियंता का कक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया। मन् पुलिस

निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री मोहम्मद जाबीर उनि व श्री चन्द्रकांत हैडकानि मंदिग्ध को यथा स्थिति में सहायक अभियंता के कक्ष में लेकर आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को स्वयं का एवं टीम सदस्यो का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री मुकेश कुमार मीणा, उम्र 44 वर्ष, निवासी गांव बडापाल, देवल पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर होना बताया। श्री राजेश कुमार एएसआई को परिवादी श्री ललित सिंह देवडा से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री राजेश कुमार एएसआई ने बताया कि "मामला पुलिस थाना प्रतापनगर पर दर्ज प्रकरण 56/2025 मे संबंधित है लेकिन इनका कोई लेना देना नही है, मैंने इनसे रूपयो की मांग नही की है इनका किसी मुकदमें में नाम नही है ये ही मेरे पास आये थे ये खुद ही मुझे रूपये देने के लिये आये थे।" फाईल के बारे में पूछने पर थाना पर होना बताया। जिस पर परिवादी श्री ललित सिंह देवडा ने पूछने पर बताया कि "इन्होने मुझसे काल कर कहा कि पुलिस थाना प्रतापनगर से राजेश ASI बोल रहा हूं तुम्हारा और तुम्हारी गाडी वर्ना कार का मुकदमे में नाम आ रहा है। इन्होने मुझसे खर्चा पानी के 10,000 /- (दस हजार) रूपये व वर्ना गाडी लाने के लिये कहा था। इसलिये मैंने आपके कार्यालय में आकर शिकायत दी थी। पुलिस थाना प्रतापनगर पर दर्ज मुकदमे में मेरा व मेरी गाडी का नाम निकलवाने की एवज में मुझसे दस हजार रूपये की मांग कर एक वर्ना कार का इन्तजाम भी करने के लिये कहा था। ये डराकर मुझे किसी केस में डालना चाहते थे मैं डर के मारे इनके पास गया इन्होने मुझसे दस हजार रूपये व एक वर्ना कार की मांग की, मेरे पास ना तो वर्ना गाडी है ना ही स्फीट गाडी है" तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने इस संबंध में श्री राजेश कुमार एएसआई से दिनांक 26.05.2025 को परिवादी श्री ललित सिंह से हुई वार्ता के संबंध में पूछा तो श्री राजेश कुमार एएसआई बिना कुछ बोले सिर झुकाकर बैंठ गया। तसल्ली देकर पूछने पर श्री राजेश कुमार एएसआई कहने लगा ललित का मुकदमे में नाम नही है पुलिस थाना प्रतापनगर पर दर्ज प्रकरण संख्या 56/2025 में आरोपी जो ललित के परिचित थे उन्होने ही मुझे इसके बारे में बताया था और कहा था कि ललित को मुकदमे मे नाम होने की बात कहकर डराओगे तो ये आपको आसानी से खर्चा पानी के रूपये दे देगा और वर्ना गाडी की व्यवस्था भी कर देगा। इसलिये मैंने ललित को फोन कर थाने पर दर्ज मुकदमे में इसका व इसकी गाडी का नाम होना बताकर इसको बुलाकर टाटा रेस्टोरेन्ट के पास टेकरी पर बुलाकर बात की थी, मुझसे गलती हो गई, आज इसने मुझे रूपये लाकर दिये थे आपके अचानक आने से मैं घबरा गया था इसलिये मैं मौके से भागने का प्रयास कर रहा था व एसीबी की कार्यवाही के डर से रूपयो को निगलने का प्रयास कर रहा था। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार एएसआई के दोनो हाथो व पहनी हुई लोअर की सामने की बायी जेब का धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि व श्री दिनेश कुमार कानि से लेपटाप, प्रिन्टर व ट्रेप बाक्स टेक्सी वाहन से मंगवाकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा ट्रेप बाक्स में रखे साफ प्लास्टिक के एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर कार्यालय पंचायत समिति गिर्वा के परिसर में रखे पीने के पानी के केम्पर से साफ पानी को बोतल में लाकर गिलास को पानी से भरकर उसमें ट्रेप बाक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट की शीशी से एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार किया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनों ने स्वीकार किया। उक्त पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री राजेश कुमार एएसआई के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुष्ठ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। आरोपी के बाये हाथ के धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को बन्द कर शीशीयो के ढक्कन पर सफेद कपडा लगाकर लेस से बांध कर कपडे पर मार्क LH-1 LH-2 अंकित किया। इसी प्रकार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा ट्रेप बाक्स में रखे साफ प्लास्टिक के एक अन्य पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर बोतल में भरे साफ पानी से गिलास को भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट की शीशी से एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार किया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनों ने स्वीकार किया। उक्त पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुष्ठ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमेला हुआ। जिसे उपस्थितिनों ने स्वीकार किया। आरोपी के दाहिने हाथ के धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को बन्द कर शीशीयो के ढक्कन पर सफेद कपडा लगाकर लेस से बांध कर कपडे पर मार्क RH-1 RH-2 अंकित किया। आरोपी श्री राजेश एएसआई द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात पहनी हुई लोअर की सामने की बायी जेब में रखने से उसका धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री प्रदीप भण्डारी को आरोपी के पहनने के लिये दुसरा पेन्ट लाने की व्यवस्था करने के लिये कहा तो आरोपी श्री राजेश एएसआई ने कहा कि मैंने हाफपेन्ट के उपर ही लोअर पहन रखा है। जिस पर आरोपी श्री राजेश एएसआई का लोअर ससम्मान खुलवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा ट्रेप बाक्स में रखे साफ प्लास्टिक का एक साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर बोतल में भरे साफ पानी से गिलास को भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट की शीशी से एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार किया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनों ने स्वीकार किया। उक्त पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री राजेश कुमार एएसआई के लोअर की सामने की बायी जेब को उलटाकर रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे सभी उपस्थित ने स्वीकार किया। उक्त धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को बन्द कर

शीशीयों के ढक्कन पर सफेद कपडा लगाकर लेस से बांध कर कपडे पर मार्क P-1 P-2 अंकित किया। उक्त शीशीयो को श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि व श्री राजेश कुमार कानि से सिलचिट करा संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह श्री आशीष कुमावत द्वारा उनके पास सुरक्षित रखी बरामदशुदा रिश्वत राशि के नम्बरो को गिना गया तो 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये होना बताया जिनका मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकमी नोट में अंकित नोटो के नम्बर से उपस्थित सभी के समक्ष किया गया तो नोटो के नम्बर हुबहू पाया गया, जो क्रमश 1. 500 रूपये का एक नोट नंबर 6GV050556, 2. 500 रूपये का एक नोट नंबर 4HN654508, 3. 500 रूपये का एक नोट नंबर 7GE021443, 4. 500 रूपये का एक नोट नंबर 2PK763211, 5. 500 रूपये का एक नोट नंबर 5AL223033, 6. 500 रूपये का एक नोट नंबर 7RL342462, 7. 500 रूपये का एक नोट नंबर 1TL310672, 8. 500 रूपये का एक नोट नंबर 3CC495289, 9. 500 रूपये का एक नोट नंबर 8AP518021, 10. 500 रूपये का एक नोट नंबर 6MC082750, 11. 500 रूपये का एक नोट नंबर 1GV208992, 12. 500 रूपये का एक नोट नंबर 7RE211953, 13. 500 रूपये का एक नोट नंबर 0PF569223, 14. 500 रूपये का एक नोट नंबर 1FG136551, 15. 500 रूपये का एक नोट नंबर 2GR130565, 16. 500 रूपये का एक नोट नंबर 0CF089448, 17. 500 रूपये का एक नोट नंबर 8DR520995, 18. 500 रूपये का एक नोट नंबर 3VB360511, 19. 500 रूपये का एक नोट नंबर 3ED894130 एवं 20. 500 रूपये का एक नोट नंबर 9KR610708 है। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि व श्री राजेश कुमार कानि द्वारा बरामदशुदा रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये को हरा रंग के फाईल कवर की कटिंग कर रिश्वत राशि को बीच में लगाकर सिलचिट किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त नोटो में से क्रम संख्या 19 पर अंकित नोट नम्बर 3ED894130 एवं क्रम संख्या 20 पर अंकित नोट नम्बर 9KR610708 आरोपी द्वारा नोटो को मुंह में लेकर निगलने के प्रयास में साईड से आंशिक कट-फट गये है। आरोपी की लोअर बंरग नेवी ब्ल्यू जिसकी सामने की बायी जेब में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि को ग्रहण कर रखा गया था उसे कमरे में ही सुखाकर जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करा लोअर को सफेद कपडे की थैली में रख कर थैली के मुहँ को धागे से सिल कर सिल मोहर किया जाकर मार्क P अंकित कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा धोवन के घोल की सीलचिटशुदा शीशीया, सिलचिट बरामदशुदा रिश्वत राशि 10,000/- रूपये व सफेद कपडे की थैली में मिलशुदा आरोपी का लोअर को सुरक्षित ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। धोवन कार्यवाही में प्रयुक्त पारदर्शी गिलासो को मौके पर ही श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि से जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं फिनोफ्थलीन पाउडर एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री चन्द्र कान्त हैडकानि द्वारा टंकन कर मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार उक्त कार्यवाही के दौराने आडियो-विडियो रिकॉर्डिंग ब्यूरो के कैमरे से श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा की गई। तत्पश्चात् समय करीब 04.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के घटना स्थल पहुंच परिवादी श्री ललित सिंह देवडा की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द घटना स्थल नक्शा मौका स्थल मुर्तिब किया जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 4.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी के रिहायसी सरकारी आवास की खाना तलाशी लिया जाना वांछित होने से परिवादी श्री ललित सिंह देवडा को उसकी कार से ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना किया, मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री राजेश एएसआई एवं ब्यूरो टीम सदस्य अपने-अपने वाहनो से मय ट्रेप बाक्स व आवश्यक संसाधन के आरोपी के पुलिस लाईन स्थित आरोपी के सरकारी आवास की खाना तलाशी लेने हेतु रवाना हुये। बाद खाना तलाशी के मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना प्रतापनगर पंहुच मामले से संबंधित पुलिस थाना प्रतापनगर पर दर्ज प्रकरण संख्या 56/2025 की अनुसंधान पत्रावली की सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु थानाधिकारी के नाम जारी तहरीर पुलिस थाना प्रतापनगर के ड्यूटी अधिकारी को सुपुर्द की गई। बाद फारीक पुलिस थाना प्रतापनगर से मय हमराहियान के रवाना होकर समय करीब 06.40 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पंहुचे। ब्यूरो कार्यालय पर परिवादी व अन्य टीम सदस्य उपस्थित है। दौराने ट्रेप कार्यवाही जप्त किये गये आर्टिकल्स सिलचिटशुदा धोवन के घोल की छः शीशिया, सिलचिट बरामदशुदा रिश्वत राशि 10,000/- रूपये व सफेद कपडे की थैली में सिलशुदा आरोपी का लोअर को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना कक्ष में सुरक्षित रखने हेतु श्री प्रदीप हैडकानि को सुरक्षित सम्भलाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार कानि 263 द्वारा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री ललित सिंह देवडा एवं आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेपटोप से कनेक्ट कर दिनांक 26.05.2025 को समय करीब 02.35 पी.एम. पर परिवादी श्री ललित सिंह देवडा के मोबाईल नम्बर [redacted] व आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि के मोबाईल नम्बर [redacted] के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को चलाकर हाजिरान को सुनवाई जाकर वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। तत्पश्चात् दिनांक 26.05.2025 को समय करीब 03.11 पी.एम. पर परिवादी श्री ललित सिंह देवडा व आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि के मध्य रिजर्व पुलिस लाईन के दक्षिणी गेट, टेकरी पर हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग

सत्यापन वार्ता को चलवाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् दिनांक 27.05.2025 को समय करीब 01.07 पी.एम. एवं 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री ललित सिंह देवडा के मोबाईल नम्बर [redacted] व आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि के मोबाईल नम्बर [redacted] के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को चलवाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् दिनांक 27.05.2025 को समय करीब 02.01 पी.एम. से परिवादी श्री ललित सिंह देवडा व आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि के मध्य मंगल चाय घर के सामने, राणा पुंजा मर्कल, रेती स्टेण्ड चैराहा, उदयपुर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता को चलाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त समस्त वार्ताओं में परिवादी श्री ललित सिंह देवडा व आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि ने अपनी-अपनी आवाज होने की ताईद की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग लेन-देन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रकरण संख्या 56/25 धारा 308(2), 115(2), 126(2), 324(2-6), 3(5) बी.एन.एस. 2023 पुलिस थाना प्रतापनगर की पत्रावली की प्रमाणितशुदा छायाप्रति प्राप्त हुई जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन देन वार्ता कुल 08 वार्ताओं की आडियो फाईल जो ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी 32 जीबी में रिकार्ड है, उक्त रिकार्ड आडियो फाईल को तीन पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी के 16 जीबी बरंग लाल व काला (मूल, आईओ व आरोपी पेनड्राईव) में बारी-बारी से लेपटोप से कनेक्ट कर कॉपी कर सेव किया जाकर वार्ताओं की वाईस रिकॉर्डिंग फाईल की हेशवैल्यू निकाली गई, मूल पेनड्राईव को सफेद कपडे की थैली में रख सीलचिट करवा मार्क अंकित करवाकर फर्द मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता कुल 08 वार्ताओं की आडियो फाईल जो ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी 32 जीबी में रिकार्ड है, रिकॉर्डिंग फाईल की हेशवैल्यू निकाली गई, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी 32 जीबी बरंग काला को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रख सीलचिट करवा सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही के दौरान सरकारी वीडियोकैमरा से की गई आडियो वीडियो रिकार्डिंग में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा आडियो वीडियो फाईल की हेशवैल्यू निकाली गई। मूल मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बरंग काला को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रख सीलचिट करवा सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् दिनांक 27.05.2025 को समय करीब 11.15 पी.एम. पर पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री मुकेश कुमार मीणा, उम्र 44 वर्ष, निवासी गांव बडापाल, देवल पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से धारा 35 बी.एन.एस.एस., 2023 की पालना की जाकर नियमानुसार किये गये जुर्म से आगाह कर जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक मे मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री मुकेश कुमार मीणा, उम्र 44 वर्ष, निवासी गांव बडापाल, देवल पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर को माननीय न्यायाधीश, सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण मामलात, क्रम संख्या 01 उदयपुर के समक्ष उनके निवास स्थान पर मय रिमाण्ड मय पत्रावली के पेश किया गया जहां से आरोपी को जे.सी. का आदेश प्राप्त होने से आरोपी को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। इस प्रकार परिवादी श्री ललित सिंह देवडा व आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि के मध्य रिजर्व पुलिस लाईन उदयपुर के दक्षिणी गेट, टेकरी पर हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना प्रतापनगर उदयपुर द्वारा परिवादी से पुलिस थाना प्रतापनगर पर दर्ज प्रकरण संख्या 56/25 जिसका अनुसंधान आरोपी स्वयं द्वारा किया जा रहा था। आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि द्वारा परिवादी श्री ललित सिंह देवडा का नाम व परिवादी की वर्ना कार का नाम उक्त मुकदमे में होने के आरोप लगाकर परिवादी को डरा धमका कर उक्त प्रकरण से परिवादी ललित सिंह व परिवादी की गाडी का नाम निकालने की एवज में परिवादी श्री ललित सिंह देवडा से रिश्वत राशि 15,000/- रूपये की मांग कर 10,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने की सहमति देने व एक वर्ना कार का इन्तजाम करने की परिवादी से मांग की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मंगल चाय घर, राणा पुंजा सर्कल, रेती स्टेण्ड चैराहा, उदयपुर के सामने आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर

द्वारा परिवादी से अपनी मांग अनुसार रिश्वत राशि 10,000/- रूपये मांग कर ग्रहण कर अपनी पहनी हुई लोअर की सामने की बांयी जेब में रखी, उसी दौरान आरोपी ने ब्यूरो टीम को अपने पास आता देख भागने का प्रयास करने पर ब्यूरो टीम सदस्य रोकने लगे तो आरोपी द्वारा पूरा जोर लगाकर एवं टीम सदस्यों के हाथ व अंगुलियों को दांतों से काटकर भागने की कोशिश करते हुये 500-500 रूपये के नोट जो आरोपी ने परिवादी से ग्रहण कर अपनी लोअर की बांयी जेब में रखे थे, उक्त रिश्वत राशि 500-500 रूपये के नोटों की गड्डी को जेब से निकालकर नोटों की गड्डी को अपने मुंह में डाल दिये और चबाकर निगलने की कोशिश करने लगा। जिस पर आरोपी के मुंह से नोट निकाले गये। आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि को परिवादी से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने पर रंगे हाथों पकडा जाकर रिश्वत राशि 10,000/- रूपये बरामद की गई। पुलिस थाना प्रतापनगर उदयपुर से प्राप्त प्रकरण संख्या 56/25 धारा 308(2), 115(2), 126(2), 324(2-6), 3(5) बी.एन.एस. 2023 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकरण का अनुसंधान आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि के जिम्में होकर प्रकरण के प्रार्थी व गवाहान के कथन व गिरफ्तारशुदा आरोपीगण के पूछताछ नोट में परिवादी श्री ललित सिंह देवडा का आरोपी के रूप में नाम और प्रकरण की केस डायरी में परिवादी श्री ललित सिंह देवडा से अनुसंधान करना अपेक्षित होने सम्बंधित कोई अंकन नहीं होना पाया गया। उक्त प्रकरण परिवादी श्री ललित सिंह के मित्र कमलेन्द्र सिंह व अन्य के विरूद्ध दर्ज होकर प्रकरण में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण के पूछताछ नोट में घटनाक्रम में प्रयुक्त काले रंग की वर्ना कार युवराज नाम के व्यक्ति की होने का अंकन पाया गया है। आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सउनि द्वारा उक्त प्रकरण में परिवादी श्री ललित सिंह देवडा से अवैध रूप से राशि प्राप्त करने के आपराधिक दुराशय से उक्त प्रकरण में परिवादी श्री ललित सिंह का नाम व परिवादी की कार का नाम होने के झूठे आरोप लगाकर परिवादी को डरा धमकाकर आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की मांग कर व एक वर्ना कार का इन्तजाम करने की मांग कर अपनी मांग अनुसार रिश्वत राशि 10,000/- रूपये ग्रहण किये गये। आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री मुकेश कुमार मीणा, उम्र 44 वर्ष, निवासी गांव बडापाल, देवल पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर द्वारा किया गया उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री मुकेश कुमार मीणा, उम्र 44 वर्ष, निवासी गांव बडापाल, देवल पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर के विरूद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा मे सादर प्रेषित है। भवदीय) लक्ष्मण लाल डांगी(पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर......................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री लक्ष्मण लाल डांगी पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री मुकेश कुमार मीणा, उम्र 44 वर्ष, निवासी गांव बडापाल, देवल पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपत सिंह चारण,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 551 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 769-72 दिनांक 30.5.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर, 2.पुलिस अधीक्षक जिला उदयपुर। 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARPAT SINGH CHARAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Pyare Lal Shivran
Location Rajasthan,IN
Date 30/05/2025 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	03/06/1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)